न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी– रक्षा पारीक, आरएएस)

प्रकरण संख्या – 107 / 2025 (प्रा0प0)
दायर दिनांक – 02 / 06 / 2025
निर्णय दिनांक – 04 / 09 / 2025

अनवान

1. छगनसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत निवासी कामा तहसील खमनोर जिला राजसमन्द

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खमनोर, तहसील देलवाडा जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

उपस्थित –
प्रार्थीगण की ओर से – श्री भूपेन्द्र गुर्जर, अधिवक्ता
विपक्षीगण की ओर से – पेरोकार सरकार

दिनांक – 04 / 09 / 2025

प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 के प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम सगरूण पटवार हल्का सगरूण भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मचिन्द तहसील खमनोर जिला राजसमन्द में प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि 5361 / 4032, 5362 / 4032, 5363 / 4032, 5364 / 4033, 5365 / 4033, 5366 / 3973, 5367 / 3973, 5368 / 3973, 5369 / 3972 कुल किता–09 कुल रकबा 0.7586 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उपरोक्त विवरण की कृषि भूमि में प्रार्थी का सम्पूर्ण हक व हिस्सा निहीत होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उपरोक्त विवरण की कृषि भूमि में आने जाने का रास्ता आम सडक से शुरू होकर आराजी नम्बर 4030 से 4031 से होते हुए प्रार्थी की आराजी संख्या 5363 / 4032 व 5368 / 3973 में आता है। जो आराजी संख्या 4030 एवं 4031 किस्म मगरी विपक्षी के नाम पर दर्ज है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग उपरोक्त कृषि भूमि में आने जाने हेतु प्रार्थी व उसके पुर्वाधिकारी सदीप से करते आये है, लेकिन उक्त रास्ता सरकारी भूमि में होने से कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे प्रार्थी अपनी कृषि भूमियों का समुचित विकास नही करा पा रहा है। प्रार्थी आराजी संख्या 4030 व 4031 में से 30 फिट चौडा रास्ता चाहता है। जिसके लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी राजकोष में नियमानुसार शुल्क जमा कराते हुए विधिक प्रावधानानुरूप रास्ता हासिल करना चाहता है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में पेश है। प्रार्थी द्वारा इस आशय का निवेदन

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राज.)

तहसीलदार खमनोर विपक्षी को दिनांक 13/05/2025 को किया गया। लेकिन उन्होने उच्चस्थ अधिकारियों से आदेश लाने का कहते हुए रास्ता देने से इन्कार कर दिया। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण उत्पन्न होकर लगातार जारी है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए रास्ता दिलाया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार खमनोर द्वारा अपने पत्रांक 768 दिनांक 15.07.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है कि प्रार्थी छगनसिंह पुत्र नाहरसिंह खातेदार को राजस्व ग्राम सगरूण पटवारी हल्का सगरूण में खाता संख्या 1186 की अपनी खातेदारी भूमि आराजी संख्या 4027, 4029, 5363/4032, 5668/3937 स्थित है। आराजी संख्या 4027 व 4029 आम रास्ता सडक से सटमा है जिसमें से प्रार्थी को अपनी खातेदार भूमि खसरा नम्बर 5363/4032, 5368/3937 में आवागमन हेतु आराजी संख्या 4030 व 4031 बिलानाम भूमि में से होकर जाना पडता है। आराजी नम्बर 5363/4032, 5368/3937 में चौपहिया वाहन ले जाने हेतु वर्तमान में कोई रिकोर्डेड रास्ता उपलब्ध नही है। उक्त बिलानाम आराजी संख्या 4030 व 4031 में से प्रार्थी न्यूनतम दुरी का 30 फिट चौडा रास्ता चाहता है। प्रार्थी खातेदार आराजी संख्या 4030 व 4031 में से रास्ता चाहता है एवं प्रस्तावित रास्ता उसकी खातेदारी भूमि में जाने का मुख्य मार्ग से न्यूनतम दुरी वाला रास्ता है। प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि पर जाने हेतु इसके अलावा न्यूनतम दुरी वाला अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। आराजी संख्या 4030 रकबा 0.1644 किस्म मगरी में से प्रस्तावित 30 फिट चौडे रास्ते का रकबा 0.0305 हैक्टेयर व आराजी संख्या 4031 रकबा 0.1517 किस्म मगरी में से प्रस्तावित 30 फिट चोडे रास्ते का रकबा 0.0712 हैक्टेयर, रास्ते का कुल रकबा 0.1017 हैक्टेयर है। रास्ते की भूमि की किस्म मगरी होकर डीएलसी दर प्रति हैक्टेयर 332585.00 रूपये है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 0.1017 हैक्टेयर होने से भूमि की कीमत 33380.00 रूपये बनती है एवं दुगुनी कीमत 67660.00 रूपये बनती है। राशि 67660 रूपये राजकोष में जमा होना प्रस्तावित है। रास्ता हेतु प्रस्तावित नक्शा ट्रेस साथ संलग्न है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया। विपक्षी ने अपनी मौका रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराया गया।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन व मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आवलोकन किया गया तो जाहिर आया है कि तहसीलदार देलवाडा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की भूमि पर आने जाने हेतु चाहा गया रास्ता आवश्यक होकर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राज.)

न्युनतम दुरी वाला है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांकः प03(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 में बिलानाम भूमि में से ही रास्ता दिया जाने का प्रावधान है।

– : आदेश : –

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सपठित राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांकः प03(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के प्रदत्त प्रावधानों के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम सगरूण पटवार हल्का सगरूण भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मचिन्द तहसील खमनोर जिला राजसमन्द में प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि 5361/4032, 5362/4032, 5363/4032, 5364/4033, 5365/4033, 5366/3973, 5367/3973, 5368/3973, 5369/3972 कुल किता–09 कुल रकबा 0.7586 हैक्टेयर में आने–जाने, ट्रेक्टर, ट्रोली, बैल, बैलगाडी लाने ले जाने हेतु तहसीलदार खमनोर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार ग्राम सगरूण स्थित विपक्षी की आराजी संख्या 4030 में से 0.0305 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 4031 में से 0.0712 हैक्टेयर कुल किता–02 कुल रकबा 0.1017 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रिकार्ड में किस्म रास्ता के रूप में अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक होगा। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में ईन्द्राज किया जावें। तहसीलदार खमनोर की रिपोर्ट अनुसार रास्ते की भूमि की डीएलसी दर प्रति हैक्टेयर 332585.00/– रूपये प्रति हैक्टेयर होकर रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 0.1017 हैक्टेयर भूमि की किमत नियमानुसार दुगुनी किमत 67660.00/– रूपये बनती है। तद्नुसार तहसीलदार खमनोर को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थी से उक्त कुलिया राशि 67660.00/– रूपये वसूल कर नियमानुसार राजकोष में जमा करावें इसी के साथ प्रस्तावित रास्तें की भूमि पर यदि कोई हरे वृक्ष स्थित हो तो तहसीलदार प्रार्थी से उन हरे वृक्षों की नियमानुसार राशि वसूल कर राजकोष में जमा करावें। उपरोक्त विवेचन के आधार पर सम्पूर्ण राशि राजकोष में जमा होने के उपरान्त ही उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावें। पालनार्थ तहसीलदार खमनोर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 04/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय की मोहर से सरे ईजलास सुनाया गया।

(रक्षा पारीक)
उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राज.)